प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

18-सितंबर-2018 18:06 IST

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है

। बीमा कंपनियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन को कठोर बनाया गया है

सरकार ने राज्यों और बीमा कंपनियों के लिए प्रधान मंत्री फ़ैसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी के लिए दंड के प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नए परिचालन दिशानिर्देशों का एक हिस्सा है। निर्धारित कट-ऑफ की तारीख के दो महीने से अधिक समय तक निपटान के दावों में देरी के लिए किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा 12% ब्याज का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकारों को बीमा कंपनियों द्वारा अपेक्षित कटौती प्रस्तुत करने की निर्धारित कट-ऑफ तारीख के तीन महीने से अधिक की राज्य हिस्सेदारी जारी करने में देरी के लिए 12% ब्याज का भुगतान करना होगा। नई परिचालन दिशा निर्देशों रबी के मौसम है, जो 1 से शुरू होता है की शुरुआत में आ सेंट अक्टूबर के।

नए परिचालन दिशानिर्देश बीमा कंपनियों के मूल्यांकन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का भी विवरण देते हैं और यदि सेवा प्रदान करने में अप्रभावी पाए जाते हैं तो उन्हें योजना से हटा देते हैं। सरकार ने पायलट आधार पर PMFBY के दायरे में बारहमासी बागवानी फसलों को शामिल करने का भी निर्णय लिया है। नए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती है, जिसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। लाभार्थियों के दोहराव से बचने के लिए आधार संख्या अनिवार्य रूप से कैप्चर की जाएगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत अधिक गैर-कर्जदार किसानों का बीमा किया जाता है, विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के अलावा, बीमा कंपनियों को पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक गैर-कर्जदार किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य दिया जाता है। बीमा कंपनियों को योजना के प्रचार और जागरूकता के लिए प्रति सीजन प्रति कंपनी सकल प्रीमियम का 0.5% अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा।

नए परिचालन दिशानिर्देश प्रभावी समाधानों को सामने रखकर योजना को लागू करते समय सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हैं। नए दिशानिर्देशों में प्रीमियम रिलीज प्रक्रिया के युक्तिकरण की बहुत मांग को शामिल किया गया है। इसके अनुसार, बीमा कंपनियों को अग्रिम सब्सिडी के लिए कोई अनुमान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष के इसी सीजन की सब्सिडी के कुल शेयर के 80% के आधार पर अपफ्रंट प्रीमियम सब्सिडी की रिलीज सीजन की शुरुआत में की जाएगी। दावों के निपटान के लिए पोर्टल पर विशिष्ट अनुमोदित व्यापार आंकड़ों के आधार पर शेष प्रीमियम का भुगतान दूसरी किस्त के रूप में किया जाएगा। अंतिम व्यापारिक आंकड़ों के आधार पर पोर्टल पर संपूर्ण कवरेज डेटा के सामंजस्य के बाद अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों के दावों को निपटाने में देरी कम होगी।

New Provisions in the Operational Guidelines of PMFBY

*****

APS/RCS